

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021—फाल्गुन 18, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2021

क्र. एफ 4-3-2021-उन्तीस-1.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 07) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सशक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2021

क्र. एफ 4-3-2021-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ 4-3-2021-उन्तीस-1, दिनांक 9 मार्च, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 9th March 2021

No. F 4-3-2021-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980), the State Government, hereby, empowers Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department to exercise the powers conferred under section 3 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.